

प्रो-फार्मा 4

(भविष्य निर्वाह निधि से अंतिम निष्कासन (Final Withdrawal) की स्वीकृत प्रदान करने के आदेश का प्रारूप)
कार्यालय ज्ञाप

1. एतद्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी शशि भूषण पाण्डेय पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, सीतापुर को उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या एल0जे0यू0 21085 से भवन निर्माण प्रयोजन के व्यय वहन करने हेतु 31,00,000/- रुपये (शब्दों में) इकतीस लाख मात्र का अंतिम निष्कासन सामान्य भविष्य निधि (उ0प्र0) नियमावली, 1985 के नियम संख्या 16(1)(सी)(क) संपठित 17(1)(ए) के अनुसार स्वीकार किया जाता है।
2. अंतिम निष्कासन की धनराशि श्री/श्रीमती/कुमारी शशि भूषण पाण्डेय के छ-महीने के वेतन अथवा निधि में जमा अवशेष के आधे/तीन चौथाई भाग से अधिक नहीं होगी। मूल नियमावली (फण्डामेंटल रूल) में यथापरिभाषित उनका मूल वेतन 68,750/- रुपया है।
3. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी शशि भूषण पाण्डेय ने दिनांक 17.03.2011 को अपनी सरकारी सेवा के पन्द्रह/बीस वर्ष पूरे कर लिये हैं, 10 वर्ष में अधिवार्षिकी पर सेवा निवृत्त होंगे/होगी।
4. दिनांक 02.03.2022 को उपलब्ध कराये गये अभिलेख की स्थिति के अनुसार श्री/श्रीमती/कुमारी शशि भूषण पाण्डेय के खाते में जमा अवशेष राशि का ब्योरा निम्न प्रकार है।

(1) वर्ष 2020-21 की लेखा-पर्ची/सामान्य भविष्य निधि पास बुक की विवरणिका के अनुसार जमा अवशेष की धनराशि	रु0 52,08,177/-
(2) माह मार्च 2021 से अक्टूबर 2021 तक प्रतिमाह की दर से अभिदान	रु0 1,10,000/-
(3) माह..... से माह..... तक प्रतिमाह रु0..... की दर से अग्रिम की वसूली रु0..... (क).....	रु0 Nil
(4) मद(1), (2) तथा (3) का योग.....	रु0 53,18,177/-
(5) बाद में स्वीकृत अंतिम निष्कासन, यदि कोई हो.....	रु0 Nil
(6) स्वीकृत प्रदान करने की तिथि को अवशेष मद (4)में से मद (5) घटाइये रु0.....	
(क) वर्ष..... की लेखा-पर्ची के पश्चात इस कार्यालय द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी..... को पिछली बार आदेश संख्या..... दिनांक..... द्वारा..... रु0 का कोई अंतिम निष्कासन स्वीकार नहीं किया गया था।	
(ख) ज्ञात हुआ है कि श्री..... को (जैसा कि उन्होंने बताया)..... (स्वीकृत कर्ता) द्वारा पिछली बार अंशतः अंतिम निष्कासन के रूप में रु0..... की स्वीकृत प्रदान की गई थी।	

दिनांक.....

सक्षम अधिकारी,
न्यायाधीश, उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।